

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 17/07/2019 के द्वारा रिव्यू डीपीसी वर्ष 2018-19 द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के ऐसे कार्मिक जिन्होंने निर्धारित अवधि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं किया के पदोन्नति आदेश निरस्त किये गये थे।

उक्त आदेश के क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्मिक श्रीमती चन्दा का पदोन्नति निरस्त आदेश प्रत्याहरित कर निम्नानुसार जन्मतिथि में संशोधन करते हुए कार्यग्रहण करने की अवधि दिनांक 06.08.2019 तक बढ़ाई जाती है।

क्र स	ब. क्रमांक व ब. अवधि	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नत पदस्थापन स्थान	चाहा गया संशोधन
1	6283(1)/2011-12	श्रीमती चन्दा	राबाउमावि भउ, सीकर	राउमावि करड़का, खण्डेला, सीकर	जन्मतिथि 30.05.1963 के स्थान पर 30.05.1981 पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर।

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा0वि0/रिव्यू डीपीसी /2018-19 दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

02.08.2019

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा।
- 3 अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 4 संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को शाला दर्पण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही करावें।
- 5 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर।